

निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

ए-ब्लॉक, चतुर्थ तल, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर ई-मेल dit-ins-rj@gov.in फोन-0141.2740324

क्रमांक : एफ.6(आई)निरी/आं0जां-01/ प्रोग्राम/2022/

दिनांक :

कार्यालय आदेश

आंतरिक जांच कार्यक्रम

श्री हरिशंकर जाजू, सहायक लेखाधिकारी एवं प्रभारी आंतरिक जांच दल संख्या-01 मुख्यालय- अजमेर (दल सदस्य श्री अशोक कुमार मीना एवं श्री जयसिंह महावर, सहायक लेखाधिकारी-II) का त्रैमासिक आंतरिक जांच कार्यक्रम माह- अक्टूबर, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम विभाग	वित्तीय लेखा वर्ष	कुलवर्ष	कार्य दिवस	कार्यावधि
1.	प्राचार्य राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, अजमेर	2020-2022	2	29	01.10.2022से 11.11.2022
2.	प्राचार्य सनातनधर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर (अजमेर)	2020-2022	2	24	14.11.2022से 13.12.2022 (मुख्यालय 02.12.2022)
3.	प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, अजमेर	2020-2022	2	15	14.12.2022से 31.12.2022

विशेष निर्देश:-

- प्रत्येक जांच कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने की सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा प्रभारी आंतरिक जांच शाखा को फोन पर आवश्यक रूप से दी जावे। तत्पश्चात् कार्य आरंभ की सूचना, दल सदस्यों के पूर्ण विवरण व उस विभाग के विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष क नाम व उस विभाग के दूरभाष नम्बर सहित लिखित में इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।
- आंतरिक जांच सम्बन्धित कार्य Manual for Inspection Parties of accounts and stores, 1982 वित्त(राजस्व एवं लेखा-1) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.6.1976, 13.07.2017 तथा विभाग के परिपत्र दिनांक 30.08.2016 एवं आदेश क्रमांक 9360-85 दिनांक 26.05.2022 के तहत प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सम्पादित किया जावे।
- जांचदल द्वारा प्रत्येक कार्यालय में अंकेक्षण सम्बन्धी हुए कार्य की प्रगति, रिकार्ड देने, नहीं देने की वस्तुस्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रेषित करेंगे।
- निर्धारित आवंटित जांच कार्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन व उसमें किसी प्रकार की समयावृद्धि किया जाना सम्भव नहीं होगा। निर्धारित आवंटित समय पर ही जांच कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक है। यदि आवश्यक कारणों से ऐसा सम्भव न हो तो विशेष परिस्थितियों में अंकेक्षण समाप्ति से एक सप्ताह पूर्व समय रहते निदेशक/अतिरिक्त निदेशक से अवधि बढ़ाने आदि की अनुमति प्राप्त कर विभाग से सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे।
- अंकेक्षण प्रारंभ करने के प्रथम दिवस को उक्त विभाग से पूर्व प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की अनुपालना प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई कर टिप्पणी अंकित करेंगे तत्पश्चात् अनुपालनाएँ इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- जिन विभागों / कार्यालयों में शनिवार का कार्य दिवस होता है उन कार्यालयों का अंकेक्षण कार्यक्रम आवंटित होने पर जांच दल उन विभागों / कार्यालयों में शनिवार कार्य दिवसों की अंकेक्षण कार्य सम्पादित करेंगे।
- प्रत्येक जांच प्रतिवेदन 3 प्रतियों में एवं उसके साथ संबन्धित सम्पूर्ण परिशिष्टों के 3 सेट अनुच्छेदों का वर्गीकरण प्रपत्र, पैरा विवरण, कोड सहित (2 प्रतियों में), जांचदल की दैनिक कार्य विवरण डायरी, (2 प्रतियों में), निर्धारित प्रपत्र (विभागीय कवरिंग लेटर अनुसार) में आवश्यक रूप से संलग्न कर भिजवायेंगे। मूल जांच प्रतिवेदन मय परिशिष्ट / प्रपत्र आदि के फाईल कवर में नत्थी कर मुख्यालय को प्रेषित करावें।
- अंकेक्षण कार्यक्रम के मुख्यालय को प्रस्तुत यान्त्रिक विल वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.04.2017 के तहत ऑन लाईन (सभी दस्तावेज स्कैन कर) भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। बिलों की हार्ड प्रति दल प्रभारी से यात्रा प्रमाणित करवाकर उसके साथ सम्बन्धित आदेशों की प्रति, अवधि की दैनिक डायरी, उपस्थिति पंजिका की स्व-प्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करना सुनिश्चित करें।
- जांच प्रतिवेदन कम्प्यूटर पर टंकित कराकर प्रेषित किए जावें। जांच प्रतिवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर जांच दल के (सदस्यों सहित) हस्ताक्षर अंकित करें, जांच प्रतिवेदन अंकेक्षण समाप्ति के बाद विभाग को शीघ्र ही आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(सिधेश्याम मीना)
निदेशक

दिनांक : 19/09/22

क्रमांक : एफ.6(आई)निरी/आं0जां-01/ प्रोग्राम/2022/ 16874-86

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, जयपुर।
- तकनीकी निदेशक, वित्त अंकेक्षण विभाग के पत्रांक प.6(1) वित्त/अंके/2012 पार्ट-II दिनांक 31.7.2012 के क्रम में उक्त जांच कार्यक्रम वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित है।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष
- श्री हरिशंकर जाजू, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम एवं प्रभारी आं0जां0/भौतिक सत्यापन दल संख्या-1 एवं (दल सदस्य-श्री अशोक कुमार मीना, एवं श्री जय सिंह महावर, सहायक लेखाधिकारी-II) निरीक्षण विभाग, मुख्यालय -अजमेर द्वारा -स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। आंतरिक जांच कार्य की प्रगति से अवगत कराने हेतु दिनांक 02.12.2022 को मुख्यालय निर्धारित किया जाता है।
- निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)/संयुक्त निदेशक (भौतिक सत्यापन)
- सूचना सहायक, मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जांचदल एवं सम्बन्धित विभाग को ई-मेल करावें तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
- लेखा(वित्त)/संस्थान/वि0जां0/भौतिक सत्यापन अनुभाग / राक्षत पत्रावली

(सिधेश्याम मीना)
अतिरिक्त निदेशक(अंकेक्षण)

राजस्थान सरकार

निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

ए-ब्लॉक, चतुर्थ तल, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर ई-मेल dit-ins-rj@gov.in फोन-0141.2740324

क्रमांक : एफ.6(आई)निरी/आं0जां0-04/ प्रोग्राम/2022/

दिनांक :

कार्यालय आदेश
आंतरिक जांच कार्यक्रम

श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी एवं प्रभारी आंतरिक जांच दल संख्या-04 मुख्यालय- बीकानेर (दल सदस्य श्री कपिल नायक, सहायक लेखाधिकारी-1) का त्रैमासिक आंतरिक जांच कार्यक्रम माह- अक्टुबर,2022 से दिसम्बर,2022 त निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम विभाग	वित्तीय वर्ष	लेखा वर्ष	कुल वर्ष	कार्य दिवस	कार्यावधि
1.	जिला एवं सत्र न्यायालय, बीकानेर	2019-2022		3	15	01.10.2022 से 21.10.2022
2.	जिला कलक्टर एवं निर्वाचन आधिकारी, बीकानेर	2017-2022		5	45	27.10.2022 से 30.12.2022

विशेष निर्देश:-

- प्रत्येक जांच कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने की सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा प्रभारी आंतरिक जांच शाखा को फोन पर आवश्यक रूप से दी जावे। तत्पश्चात् कार्य आरंभ की सूचना, दल सदस्यों के पूर्ण विवरण व उस विभाग के विभागाध्यक्ष /कार्यालयाध्यक्ष नाम व उस विभाग के दूरभाष नम्बर सहित लिखित में इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।
- आंतरिक जांच सम्बन्धित कार्य Manual for Insprction Parties of accounts and stores, 1982 वित्त(राजस्व एवं लेखा-1)विभ के परिपत्र दिनांक 26.6.1976,13.07.2017 तथा विभाग के परिपत्र दिनांक 30.08.2016 एवं आदेश क्रमांक 9360-85 दिनांक 26.05.2022 के तहत प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सम्पादित किया जावे।
- जांचदल द्वारा प्रत्येक कार्यालय में अंकेक्षण सम्बन्धी हुए कार्य की प्रगति, रिकार्ड देने, नहीं देने की वस्तुस्थिति का संक्षिप्त विवर प्रेषित करेंगे।
- निर्धारित आवंटित जांच कार्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन व उसमें किसी प्रकार की समयावृद्धि किया जाना सम्भव नहीं होगा निर्धारित आवंटित समय पर ही जांच कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक है। यदि आवश्यक कारणों से ऐसा सम्भव न हो तो विशेष परिस्थितियों में अंकेक्षण समाप्ति से एक सप्ताह पूर्व समय रहते निदेशक/अतिरिक्त निदेशक से अवधि बढ़ाने आदि की अनुमति प्राप्त कर विभाग से सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे।
- अंकेक्षण प्रारंभ करने के प्रथम दिवस को उक्त विभाग से पूर्व प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की अनुपालना प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई कर टिप्पणी अंकित करेंगे तत्पश्चात् अनुपालनाएँ इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- जिन विभागों /कार्यालयों में शनिवार का कार्य दिवस होता है उन कार्यालयों का अंकेक्षण कार्यक्रम आवंटित होने पर जांच दल उन विभागों /कार्यालयों में शनिवार कार्य दिवसों की अंकेक्षण कार्य सम्पादित करेंगे।
- प्रत्येक जांच प्रतिवेदन 3 प्रतियों में ए उसके साथ संबंधित सम्पूर्ण परिशिष्टों के 3 सेट अनुच्छेदों का वर्गीकरण प्रपत्र, पैरा विवरण कोड सहित (2 प्रतियों में), जांचदल की दैनिक कार्य विवरण डायरी (2 प्रतियों में), निर्धारित प्रपत्र (विभागीय कवरिंग लेट अनुसार) में आवश्यक रूप से संलग्न कर भिजवायेंगे। मूल जांच प्रतिवेदन मय परिशिष्ट /प्रपत्र आदि के फाईल कवर में रख कर मुख्यालय को प्रेषित करावें।
- अंकेक्षण कार्यक्रम के मुख्यालय को प्रस्तुत यात्रा बिल वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.04.2017 के तहत ऑ लाईन (सभी दस्तावेज स्कैन कर) भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। बिलों की हार्ड प्रति दल प्रभारी से यात्रा प्रमाणित करवाकर उस साथ सम्बन्धित आदेशों की प्रति, अवधि की दैनिक डायरी, उपस्थिति पंजिका की स्व- प्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करना सुनिश्चित करें।
- जांच प्रतिवेदन कम्प्यूटर पर टंकित कराकर प्रेषित किए जावें। जांच प्रतिवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर जांच दल के(सदस्यों सहित हस्ताक्षर अंकित करें, जांच प्रतिवेदन अंकेक्षण समाप्ति के बाद विभाग को शीघ्र ही आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(सिधेश्याम मीना)
निदेशक

दिनांक : 19/09/22

क्रमांक : एफ.6(आई)निरी/आं0जां0-04/ प्रोग्राम/2022/ 6887-94
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण)विभाग, जयपुर।
- तकनीकी निदेशक, वित्त अंकेक्षण विभाग के पत्रांक प.6(1)वित्त/अंके/2012 पार्ट-11 दिनांक 31.7.2012 के क्रम में उक्त जांच कार्यक्रम वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित है।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष
- श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम एवं प्रभारी आं0जां0/भौतिक सत्यापन दल संख्या-04 एवं (दल सदस्य श्री कपिल नायक, सहायक लेखाधिकारी-1) निरीक्षण विभाग, मुख्यालय -बीकानेर द्वारा -स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, बीकानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
- निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)/संयुक्त निदेशक (भौतिक सत्यापन)
- सूचना सहायक, मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जांचदल एवं सम्बन्धित विभाग को ई-मेल करावें तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
- लेखा(बिल)/संस्थापन/वि0जां0/भौतिक सत्यापन अनुभाग /रक्षित पत्रावली

(अतिरिक्त निदेशक(अंकेक्षण))

राजस्थान सरकार

निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

ए-ब्लॉक, चतुर्थ तल, विल मवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर ई-मेल dit-ins-rj@gov.in फोन-0141.2740324

क्रमांक : एफ.6(आई)निरी/आं0जां0-07/ प्रोग्राम/2022/

दिनांक :


**कार्यालय आदेश
आंतरिक जांच कार्यक्रम**

श्री सीताराम माली, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम एवं प्रभारी आंतरिक जांच दल संख्या-07 मुख्यालय- जयपुर (दल सदस्य श्री केदारमल शर्मा, सहायक लेखाधिकारी -प्रथम) का त्रैमासिक आंतरिक जांच कार्यक्रम माह- अक्टूबर,2022 से दिसम्बर,2022 निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम विभाग	वित्तीय लेखा वर्ष	कुल वर्ष	कार्य दिवस	कार्यावधि
1.	औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर	2019-2022	3	17	18.10.2022 से 11.11.2022
2.	जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर	2019-2022	3	34	14.11.2022 से 30.12.2022 (मुख्यालय 09.12.2022)

विशेष निर्देश:-

- प्रत्येक जांच कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने की सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा प्रभारी आंतरिक जांच शाखा को फोन पर आवश्यक से दी जावे। तत्पश्चात् कार्य आरंभ की सूचना, दल सदस्यों के पूर्ण विवरण व उस विभाग के विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष नाम व उस विभाग के दूरभाष नम्बर सहित लिखित में इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।
- आंतरिक जांच सम्बन्धित कार्य Manual for Inspection Parties of accounts and stores, 1982 वित्त(राजस्व एवं लेखा-1)वि के परिपत्र दिनांक 26.6.1976, 13.07.2017 तथा विभाग के परिपत्र दिनांक 30.08.2016 एवं आदेश क्रमांक 9360-85 दिन 26.05.2022 के तहत प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सम्पादित किया जावे।
- जांचदल द्वारा प्रत्येक कार्यालय में अंकेक्षण सम्बन्धी हुए कार्य की प्रगति, रिकार्ड देने, नहीं देने की वस्तुस्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रेषित करेंगे।
- निर्धारित आवंटित जांच कार्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन व उसमें किसी प्रकार की समयावृद्धि किया जाना सम्भव नहीं होगा निर्धारित आवंटित समय पर ही जांच कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक है। यदि आवश्यक कारणों से ऐसा सम्भव न हो तो वि. परिस्थितियों में अंकेक्षण समाप्ति से एक सप्ताह पूर्व समय रहते निदेशक/अतिरिक्त निदेशक से अवधि बढ़ाने आदि की अनुमति प्राप्त कर विभाग से सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे।
- अंकेक्षण प्रारंभ करने के प्रथम दिवस को उक्त विभाग से पूर्व प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की अनुपालना प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई कर टिप्पणी अंकित करेंगे तत्पश्चात् अनुपालनाएँ इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- जिन विभागों / कार्यालयों में शनिवार का कार्य दिवस होता है उन कार्यालयों का अंकेक्षण कार्यक्रम आवंटित होने पर जांच दल उन विभागों / कार्यालयों में शनिवार कार्य दिवसों की अंकेक्षण कार्य सम्पादित करेंगे।
- प्रत्येक जांच प्रतिवेदन 3 प्रतियों में एवं उसके साथ संबंधित सम्पूर्ण परिशिष्टों के 3 सेट अनुच्छेदों का वर्गीकरण प्रपत्र, पैरा विवरण कोड सहित (2 प्रतियों में), जांचदल की दैनिक कार्य विवरण डायरी (2 प्रतियों में), निर्धारित प्रपत्र (विभागीय कवरिंग ले अनुसार) में आवश्यक रूप से संलग्न कर भिजवायेंगे। मूल जांच प्रतिवेदन मय परिशिष्ट / प्रपत्र आदि के फाईल कवर में नत् कर मुख्यालय को प्रेषित करावें।
- अंकेक्षण कार्यक्रम के मुख्यालय को प्रस्तुत यात्रा बिल वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.04.2017 के तहत अं लाईन (सभी दस्तावेज स्कैन कर) भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। बिलों की हार्ड प्रति दल प्रभारी से यात्रा प्रमाणित करवाकर उस साथ सम्बन्धित आदेशों की प्रति, अवधि की दैनिक डायरी, उपस्थिति पंजिका की स्व- प्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करना सुनिश्चित करें।
- जांच प्रतिवेदन कम्प्यूटर पर टंकित कराकर प्रेषित किए जावें। जांच प्रतिवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर जांच दल के सदस्यों सहि हस्ताक्षर अंकित करें, जांच प्रतिवेदन अंकेक्षण समाप्ति के बाद विभाग को शीघ्र ही आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।



निदेशक

दिनांक : 19/09/22

क्रमांक : एफ.6(आई)निरी/आं0जां0-07/ प्रोग्राम/2022/16900-12
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, जयपुर।
- तकनीकी निदेशक, वित्त अंकेक्षण विभाग के पत्रांक प.6(1)वित्त/अंके/2012 पार्ट-II दिनांक 31.7.2012 के क्रम में उक्त जांच कार्यक्रम वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित है।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष
- श्री सीताराम माली, सहायक लेखाधिकारी एवं प्रभारी आं0जां0/भौतिक सत्यापन दल संख्या-07 एवं (दल सदस्य-श्री केदारम शर्मा, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम) निरीक्षण विभाग, मुख्यालय-जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य समय पर पू किया जाना सुनिश्चित करें। आंतरिक जांच कार्य की प्रगति से अवगत कराने हेतु दिनांक 09.12.2022 को मुख्यालय निर्धारित किया जाता है।
- निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)/संयुक्त निदेशक (भौतिक सत्यापन)
- सूचना सहायक मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जांचदल एवं सम्बन्धित विभाग को ई-मेल करावें ए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
- लेखा(बिल)/संस्थापन, निंजां0/भौतिक सत्यापन अनुभाग /रक्षित पत्रावली



अतिरिक्त निदेशक(अंकेक्षण)

राजस्थान सरकार

निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

ए-ब्लॉक, चतुर्थ तल, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर ई-मेल dit-ins-rj@gov.in फोन-0141.2740324

क्रमांक : एफ.6(आई)निरी/आं0जां0-09/ प्रोग्राम/2022/

दिनांक :

**कार्यालय आदेश
आंतरिक जांच कार्यक्रम**

श्री गोविन्द सैनी, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम एवं प्रभारी आंतरिक जांच दल संख्या-09 मुख्यालय- जयपुर (दल स श्री भवानी सिंह शेखावत, सहा.ले. -II) का त्रैमासिक आंतरिक जांच कार्यक्रम माह- अक्टूबर,2022 से दिसम्बर,2022 निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम विभाग	वित्तीय लेखा वर्ष	कुल वर्ष	कार्य दिवस	कार्यावधि
1.	न्यायाधीश श्रम न्यायालय, प्रथम, जयपुर	2019-2022	3	14	18.10.2022 से 05.11.2022
2.	मुख्य अभियन्ता, राज्य जलसंसाधन (SWRPD) विभाग जयपुर	2018-2022	4	38	07.11.2022 से 30.12.2022

विशेष निर्देश:-

- प्रत्येक जांच कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने की सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा प्रभारी आंतरिक जांच शाखा को फोन पर आवश्यक से दी जावे। तत्पश्चात् कार्य आरंभ की सूचना, दल सदस्यों के पूर्ण विवरण व उस विभाग के विभागाध्यक्ष /कार्यालयाध्यक्ष नाम व उस विभाग के दूरभाष नम्बर सहित लिखित में इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।
- आंतरिक जांच सम्बन्धित कार्य Manual for Inspection Parties of accounts and stores,1982 वित्त(राजस्व एवं लेखा-1) के परिपत्र दिनांक 26.6.1976,13.07.2017 तथा विभाग के परिपत्र दिनांक 30.08.2016 एवं आदेश क्रमांक 9360-85 f 26.05.2022 के तहत प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सम्पादित किया जावे।
- जांचदल द्वारा प्रत्येक कार्यालय में अंकेक्षण सम्बन्धी हुए कार्य की प्रगति, रिकार्ड देने, नहीं देने की वस्तुस्थिति का संक्षिप्त रि प्रेषित करेंगे।
- निर्धारित आवंटित जांच कार्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन व उसमें किसी प्रकार की समयवृद्धि किया जाना सम्भव नहीं। निर्धारित आवंटित समय पर ही जांच कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक है। यदि आवश्यक कारणों से ऐसा सम्भव न हो तो परिस्थितियों में अंकेक्षण समाप्ति से एक सप्ताह पूर्व समय रहते निदेशक/अतिरिक्त निदेशक से अवधि बढ़ाने आदि की अप्रार्थना कर विभाग से सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे।
- अंकेक्षण प्रारंभ करने के प्रथम दिवस को उक्त विभाग से पूर्व प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की अनुपालना प्राप्त कर आठ कार्रवाई कर टिप्पणी अंकित करेंगे तत्पश्चात् अनुपालनाएँ इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- जिन विभागों /कार्यालयों में शनिवार का कार्य दिवस होता है उन कार्यालयों का अंकेक्षण कार्यक्रम आवंटित होने पर जांच विभागों /कार्यालयों में शनिवार कार्य दिवसों की अंकेक्षण कार्य सम्पादित करेंगे।
- प्रत्येक जांच प्रतिवेदन 3 प्रतियों में एवं उसके साथ संबंधित सम्पूर्ण परिशिष्टों के 3 सेट अनुच्छेदों का वर्गीकरण प्रपत्र, पैरा वि कोड सहित (2 प्रतियों में), जांचदल की दैनिक कार्य विवरण डायरी (2 प्रतियों में), निर्धारित प्रपत्र (विभागीय कार्रवाई अनुसार) में आवश्यक रूप से संलग्न कर भिजवायेंगे। मूल जांच प्रतिवेदन मय परिशिष्ट /प्रपत्र आदि के फाइल कवर में कर मुख्यालय को प्रेषित करावें।
- अंकेक्षण कार्यक्रम के मुख्यालय को प्रस्तुत यात्रा विल वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.04.2017 के तहत लाईन (सभी दस्तावेज स्कैन कर) भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। विलों की हार्ड प्रति दल प्रभारी से यात्रा प्रमाणित करवाकर साथ सम्बन्धित आदेशों की प्रति, अवधि की दैनिक डायरी, उपस्थिति पंजिका की स्व- प्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से र करना सुनिश्चित करें।
- जांच प्रतिवेदन कम्प्यूटर पर टंकित कराकर प्रेषित किए जावें। जांच प्रतिवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर जांच दल के(सदस्यों स हस्ताक्षर अंकित करें जांच प्रतिवेदन अंकेक्षण समाप्ति के बाद विभाग को शीघ्र ही आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित व उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।


(राजेशम सैनी)
निदेशक

क्रमांक : एफ.6(आई)निरी/आं0जां0-09/ प्रोग्राम/2022/ ~~16913-26~~ 16913-26

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक : 19/09/22

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, जयपुर।
- तकनीकी निदेशक, वित्त अंकेक्षण विभाग के पत्रांक प.6(1)वित्त/अंके/2012 पार्ट-II दिनांक 31.7.2012 के क्रम में उक्त कार्यक्रम वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित है।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष
- श्री गोविन्द सैनी सहायक लेखाधिकारी-प्रथम एवं प्रभारी आं0जां0/भौतिक सत्यापन दल संख्या-09 एवं (दल सदस्य-श्री भ सिंह शेखावत, सहायक लेखाधिकारी-II) निरीक्षण विभाग, मुख्यालय -जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
- निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)/संयुक्त निदेशक (भौतिक सत्यापन)
- सूचना सहायक, मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जांचदल एवं सम्बन्धित विभाग को ई-मेल करावें विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- लेखा(बिल)/संस्थापन/वि0जां0/भौतिक सत्यापन अनुभाग /रक्षित पत्रावली



अतिरिक्त निदेशक(अंके)

राजस्थान सरकार

निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

ए-ब्लॉक, चतुर्थ तल, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर ई-मेल dit-ins-rj@gov.in फोन-01412740324

क्रमांक : एफ.6(आई)निरी/आं0जां0-16/ प्रोग्राम/2022/

दिनांक :

कार्यालय आदेश

आंतरिक जांच कार्यक्रम

श्री सतीश कुमार, लेखाधिकारी एवं प्रभारी आंतरिक जांच दल संख्या-16 मुख्यालय- जोधपुर (दल सदस्य-श्री बन सहायक लेखाधिकारी-II) का त्रैमासिक आंतरिक जांच कार्यक्रम माह- अक्टूबर, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक निम्नानुसार कि किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम विभाग	वित्तीय लेखा वर्ष	कुल वर्ष	कार्य दिवस	कार्यावधि
1.	अधीक्षक, मथुरादास माथुर राजकीय चिकित्सालय जोधपुर	2019-2022	3	47	01.10.2022 से 03.12.22
2.	प्रधानाचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर	2019-2022	3	19	05.12.2022 से 30.12.22

विशेष निर्देश:-

- प्रत्येक जांच कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने की सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा प्रभारी आंतरिक जांच शाखा को फोन पर आवश्यक से दी जावे। तत्पश्चात् कार्य आरंभ की सूचना, दल सदस्यों के पूर्ण विवरण व उस विभाग के विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष नाम व उस विभाग के दूरभाष नम्बर सहित लिखित में इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।
- आंतरिक जांच सम्बन्धित कार्य Manual for Inspection Parties of accounts and stores, 1982 वित्त(राजस्व एवं लेखा-1) के परिपत्र दिनांक 26.6.1976, 13.07.2017 तथा विभाग के परिपत्र दिनांक 30.08.2016 एवं आदेश क्रमांक 9360-85 दिनांक 26.05.2022 के तहत प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सम्पादित किया जावे।
- जांचदल द्वारा प्रत्येक कार्यालय में अंकेक्षण सम्बन्धी हुए कार्य की प्रगति, रिकार्ड देने, नहीं देने की वस्तुस्थिति का संक्षिप्त रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।
- निर्धारित आवंटित जांच कार्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन व उसमें किसी प्रकार की समयावृद्धि किया जाना सम्भव नहीं। निर्धारित आवंटित समय पर ही जांच कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक है। यदि आवश्यक कारणों से ऐसा सम्भव न हो तो परिस्थितियों में अंकेक्षण समाप्ति से एक सप्ताह पूर्व समय रहते निदेशक/अतिरिक्त निदेशक से अवधि बढ़ाने आदि की अप्रार्थना कर विभाग से सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे।
- अंकेक्षण प्रारंभ करने के प्रथम दिवस को उक्त विभाग से पूर्व प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की अनुपालना प्राप्त कर आठ कार्रवाई कर टिप्पणी अंकित करेंगे तत्पश्चात् अनुपालनाएँ इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- जिन विभागों / कार्यालयों में शनिवार का कार्य दिवस होता है उन कार्यालयों का अंकेक्षण कार्यक्रम आवंटित होने पर जांच उन विभागों / कार्यालयों में शनिवार कार्य दिवसों की अंकेक्षण कार्य सम्पादित करेंगे।
- प्रत्येक जांच प्रतिवेदन 3 प्रतियों में एवं उसके साथ संबंधित सम्पूर्ण परिशिष्टों के 3 सेट अनुच्छेदों का वर्गीकरण प्रपत्र, पैरा वि कोड सहित (2 प्रतियों में), जांचदल की दैनिक कार्य विवरण डायरी (2 प्रतियों में), निर्धारित प्रपत्र (विभागीय कवरिंग अनुसार) में आवश्यक रूप से संलग्न कर भिजवायेंगे। मूल जांच प्रतिवेदन मय परिशिष्ट / प्रपत्र आदि के फाईल कवर में कर मुख्यालय को प्रेषित करावें।
- अंकेक्षण कार्यक्रम के मुख्यालय को प्रस्तुत यात्रा बिल वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.04.2017 के तहत लाईन (सभी दस्तावेज स्कैन कर) भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। बिलों की हार्ड प्रति दल प्रभारी से यात्रा प्रमाणित करवाकर व साथ सम्बन्धित आदेशों की प्रति, अवधि की दैनिक डायरी, उपस्थिति पंजिका की स्व-प्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से स संलग्न करना सुनिश्चित करें।
- जांच प्रतिवेदन कम्प्यूटर पर टंकित कराकर प्रेषित किए जावें। जांच प्रतिवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर जांच दल के (सदस्यों सहित) हस्ताक्षर अंकित करें, जांच प्रतिवेदन अंकेक्षण समाप्ति के बाद विभाग को शीघ्र ही आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित व उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।


(राजेश कुमार मीना)
निदेशक

दिनांक : 19/09/22

क्रमांक : एफ.6(आई)निरी/आं0जां0-16/ प्रोग्राम/2022/ 16927-40

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, जयपुर।
- तकनीकी निदेशक, वित्त अंकेक्षण विभाग के पत्रांक प.6(1)वित्त/अंके/2012 पार्ट-II दिनांक 31.7.2012 के क्रम में उक्त कार्यक्रम वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित है।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष
- श्री सतीश कुमार, लेखाधिकारी एवं प्रभारी आं0जां0/भौतिक सत्यापन दल संख्या-16 एवं (दल सदस्य-श्री बन्ने सिंह, सह लेखाधिकारी-II) निरीक्षण विभाग, -द्वारा -संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जोधपुर को निर्देशित किया जाता है उक्त कार्य समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
- निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)/संयुक्त निदेशक (भौतिक सत्यापन)
- सूचना सहायक, मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जांचदल एवं सम्बन्धित विभाग को ई-मेल करावें।
- लेखा(बिल)/संस्थापन/वि0जां0/भौतिक सत्यापन अनुभाग /रक्षित पत्रावली


अतिरिक्त निदेशक(अंके)

राजस्थान सरकार
निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

ए-ब्लॉक, चतुर्थ तल, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर ई-मेल dit-ins-rj@gov.in फोन-0141.2740324

दिनांक :

क्रमांक : एफ.6(आई)निरी/आं0जां0-17/ प्रोग्राम/2022/

कार्यालय आदेश
आंतरिक जांच कार्यक्रम

श्री रमेश चन्द मीना, सहायक लेखाधिकारी प्रथम एवं प्रभारी आंतरिक जांच दल संख्या-17 मुख्यालय- कोटा (दल सदस्य- श्री श्याम कुमार टेलर-सहायक लेखाधिकारी-प्रथम) का त्रैमासिक आंतरिक जांच कार्यक्रम माह- अक्टूबर,2022 से दिसम्बर,2022 तक निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम विभाग	वित्तीय लेखा वर्ष	कुल वर्ष	कार्य दिवस	कार्यावधि
1.	प्राचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय, कोटा	प्रारंभ से-2022	-	44	01.10.2022 से 30.11.2022
2.	जिला एवं सत्र न्यायालय, झालावाड	2018-2022	4	23	01.12.2022 से 31.12.2022 (मुख्यालय 16.12.2022)

विशेष निर्देश:-

- प्रत्येक जांच कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने की सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा प्रभारी आंतरिक जांच शाखा को फोन पर आवश्यक रूप से दी जावे। तत्पश्चात् कार्य आरंभ की सूचना, दल सदस्यों के पूर्ण विवरण व उस विभाग के विभागाध्यक्ष /कार्यालयाध्यक्ष का नाम व उस विभाग के दूरभाष नम्बर सहित लिखित में इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।
- आंतरिक जांच सम्बन्धित कार्य Manual for Inspection Parties of accounts and stores,1982 वित्त(राजस्व एवं लेखा-1)विभाग के परिपत्र दिनांक 26.6.1976,13.07.2017 तथा विभाग के परिपत्र दिनांक 30.08.2016 एवं आदेश क्रमांक 9360-85 दिनांक 26.05.2022 के तहत प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सम्पादित किया जावे।
- जांचदल द्वारा प्रत्येक कार्यालय में अंकेक्षण सम्बन्धी हुए कार्य की प्रगति, रिकार्ड देने, नहीं देने की वस्तुस्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रेषित करेंगे।
- निर्धारित आवंटित जांच कार्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन व उसमें किसी प्रकार की समयावृद्धि किया जाना सम्भव नहीं होगा। निर्धारित आवंटित समय पर ही जांच कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक है। यदि आवश्यक कारणों से ऐसा सम्भव न हो तो विशेष परिस्थितियों में अंकेक्षण समाप्ति से एक सप्ताह पूर्व समय रहते निदेशक/अतिरिक्त निदेशक से अवधि बढ़ाने आदि की अनुमति प्राप्त कर विभाग से सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे।
- अंकेक्षण प्रारंभ करने के प्रथम दिवस को उक्त विभाग से पूर्व प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की अनुपालना प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई कर टिप्पणी अंकित करेंगे तत्पश्चात् अनुपालनाएँ इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- जिन विभागों /कार्यालयों में शनिवार का कार्य दिवस होता है उन कार्यालयों का अंकेक्षण कार्यक्रम आवंटित होने पर जांच दल उन विभागों /कार्यालयों में शनिवार कार्य दिवसों की अंकेक्षण कार्य सम्पादित करेंगे।
- प्रत्येक जांच प्रतिवेदन 3 प्रतियों में एवं उसके साथ संबंधित सम्पूर्ण परिशिष्टों के 3 सेट अनुच्छेदों का वर्गीकरण प्रपत्र, पैरा विवरण, कोड सहित (2 प्रतियों में), जांचदल की दैनिक कार्य विवरण डायरी (2 प्रतियों में), निर्धारित प्रपत्र (विभागीय कवरिंग लेटर अनुसार) में आवश्यक रूप से संलग्न कर भिजवायेंगे। मूल जांच प्रतिवेदन मय परिशिष्ट /प्रपत्र आदि के फाईल कवर में नथी कर मुख्यालय को प्रेषित करावें।
- अंकेक्षण कार्यक्रम के मुख्यालय को प्रस्तुत याना बिल वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.04.2017 के तहत ऑन लाईन (सभी दस्तावेज स्कैन कर) भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। बिलों की हार्ड प्रति दल प्रभारी से यात्रा प्रमाणित करवाकर उसके साथ सम्बन्धित आदेशों की प्रति, अवधि की दैनिक डायरी, उपस्थिति पंजिका की स्व- प्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करना सुनिश्चित करें।
- जांच प्रतिवेदन कम्प्यूटर पर टंकित कराकर प्रेषित किए जावें। जांच प्रतिवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर जांच दल के(सदस्यों सहित) हस्ताक्षर अंकित करें, जांच प्रतिवेदन अंकेक्षण समाप्ति के बाद विभाग को शीघ्र ही आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(श्री श्याम मीना)
निदेशक

दिनांक : 19/09/22

क्रमांक : एफ.6(आई)निरी/आं0जां0-17/ प्रोग्राम/2022/16941-54

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण)विभाग, जयपुर।
- तकनीकी निदेशक, वित्त अंकेक्षण विभाग के पत्रांक प.6(1)वित्त/अंके/2012 पार्ट-II दिनांक 31.7.2012 के क्रम में उक्त जांच कार्यक्रम वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित है।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष
- श्री रमेश चन्द मीना, लेखाधिकारी एवं प्रभारी आं0जां0/भौतिक सत्यापन दल संख्या-17 एवं (दल सदस्य-श्री श्याम कुमार टेलर, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम) निरीक्षण विभाग, द्वारा -कोषाधिकारी, कोटा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। आंतरिक जांच कार्य की प्रगति से अवगत कराने हेतु दिनांक 16.12.2022 को मुख्यालय निर्धारित किया जाता है।
- निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)/संयुक्त निदेशक (भौतिक सत्यापन)
- सूचना सहायक, मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जांचदल एवं सम्बन्धित विभाग को ई-मेल करावें एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
- लेखा(बिल)/संस्थापन/वि0जां0/भौतिक सत्यापन अनुभाग /रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक(अंकेक्षण)

अतिरिक्त निदेशक(अंकेक्षण)

राजस्थान सरकार

निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

ए-ब्लॉक, चतुर्थ तल, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर ई-मेल dit-ins-rj@gov.in फोन-0141.2740324

क्रमांक : एफ.6(आई)निरी/आं0जां0-18/ प्रोग्राम/2022/

दिनांक :

**कार्यालय आदेश
आंतरिक जांच कार्यक्रम**

श्री धनफूल मीना, लेखाधिकारी एवं प्रभारी आंतरिक जांच दल संख्या-18 मुख्यालय- कोटा (दल सदस्य-.....) का त्रैमासिक आंतरिक जांच कार्यक्रम माह- अक्टूबर,2022 से दिसम्बर,2022 तक निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम विभाग	वित्तीय लेखा वर्ष	कुल वर्ष	कार्य दिवस	कार्यावधि
1.	जिला एवं सत्र न्यायालय, कोटा	2018-2022	4	19	01.10.2022 से 31.10.2022
2.	अधीक्षक महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा (RMRS सहित)	2019-2022	3	49	01.11.2022 से 31.12.2022

विशेष निर्देश:-

- प्रत्येक जांच कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने की सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा प्रभारी आंतरिक जांच शाखा को फोन पर आवश्यक रूप से दी जावे। तत्पश्चात् कार्य आरंभ की सूचना, दल सदस्यों के पूर्ण विवरण व उस विभाग के विभागाध्यक्ष /कार्यालयाध्यक्ष का नाम व उस विभाग के दूरभाष नम्बर सहित लिखित में इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।
- आंतरिक जांच सम्बन्धित कार्य Manual for Insprction Parties of accounts and stores,1982 वित्त(राजस्व एवं लेखा-1)विभाग के परिपत्र दिनांक 26.6.1976,13.07.2017 तथा विभाग के परिपत्र दिनांक 30.08.2016 एवं आदेश क्रमांक 9360-85 दिनांक 26.05.2022 के तहत प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सम्पादित किया जावे।
- जांचदल द्वारा प्रत्येक कार्यालय में अंकेक्षण सम्बन्धी हुए कार्य की प्रगति, रिकार्ड देने, नहीं देने की वस्तुस्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रेषित करेंगे।
- निर्धारित आवंटित जांच कार्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन व उसमें किसी प्रकार की समयावृद्धि किया जाना सम्भव नहीं होगा। निर्धारित आवंटित समय पर ही जांच कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक है। यदि आवश्यक कारणों से ऐसा सम्भव न हो तो विशेष परिस्थितियों में अंकेक्षण समाप्ति से एक सप्ताह पूर्व समय रहते निदेशक/अतिरिक्त निदेशक से अवधि बढ़ाने आदि की अनुमति प्राप्त कर विभाग से सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे।
- अंकेक्षण प्रारंभ करने के प्रथम दिवस को उक्त विभाग से पूर्व प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की अनुपालना प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई कर टिप्पणी अंकित करेंगे तत्पश्चात् अनुपालनाएँ इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- जिन विभागों /कार्यालयों में शनिवार का कार्य दिवस होता है उन कार्यालयों का अंकेक्षण कार्यक्रम आवंटित होने पर जांच दल उन विभागों /कार्यालयों में शनिवार कार्य दिवसों की अंकेक्षण कार्य सम्पादित करेंगे।
- प्रत्येक जांच प्रतिवेदन 3 ! 0ओं में एवं उसके साथ संबंधित सम्पूर्ण परिशिष्टों के 3 सेट अनुच्छेदों का वर्गीकरण प्रपत्र, पैरा विवरण, कोड सहित (2 प्रतियों में), जांचदल की दैनिक कार्य विवरण डायरी (2 प्रतियों में), निर्धारित प्रपत्र (विभागीय कवरिंग लेटर अनुसार) में आवश्यक रूप से संलग्न कर भिजवायेंगे। मूल जांच प्रतिवेदन मय परिशिष्ट /प्रपत्र आदि के फाईल कवर में नत्थी कर मुख्यालय को प्रेषित करावें।
- अंकेक्षण कार्यक्रम के मुख्यालय को प्रस्तुत यात्रा बिल वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.04.2017 के तहत ऑन लाईन (सभी दस्तावेज स्कैन कर) भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। बिलों की हार्ड प्रति दल प्रभारी से यात्रा प्रमाणित करवाकर उसके साथ सम्बन्धित आदेशों की प्रति, अवधि की दैनिक डायरी, उपस्थिति पंजिका की स्व- प्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करना सुनिश्चित करें।
- जांच प्रतिवेदन कम्प्यूटर पर टंकित कराकर प्रेषित किए जावें। जांच प्रतिवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर जांच दल के(सदस्यों सहित) हस्ताक्षर अंकित करें, जांच प्रतिवेदन अंकेक्षण समाप्ति के बाद विभाग को शीघ्र ही आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।



निदेशक

दिनांक : 19/09/22

क्रमांक : एफ.6(आई)निरी/आं0जां0-18/ प्रोग्राम/2022/16955-68
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त शासन सचिव,वित्त (अंकेक्षण)विभाग, जयपुर।
- तकनीकी निदेशक, वित्त अंकेक्षण विभाग के पत्रांक प.6(1)वित्त/अंके/2012 पार्ट-II दिनांक 31.7.2012 के क्रम में उक्त जांच कार्यक्रम वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित है।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष
- श्री धनफूल मीना, लेखाधिकारी एवं प्रभारी आं0जां0/भौतिक सत्यापन दल संख्या-18 एवं (दल सदस्य-.....)निरीक्षण विभाग, द्वारा -कोषाधिकारी, कोटा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)/संयुक्त निदेशक (भौतिक सत्यापन)
- सूचना सहायक, मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जांचदल एवं सम्बन्धित विभाग को ई-मेल करावें एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
- लेखा(बिल)/संस्थापन/वि0जां0/भौतिक सत्यापन अनुभाग /रक्षित पत्रावली



अतिरिक्त निदेशक(अंकेक्षण)

राजस्थान सरकार

निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

ए-ब्लॉक, चतुर्थ तल, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर ई-मेल dit-ins-rj-@gov.in फोन-0141.2740324

क्रमांक : एफ.6(आई)निरी/भौ0स0द0-5/ प्रोग्राम/2022/

दिनांक :

कार्यालय आदेश

आंतरिक जांच कार्यक्रम

श्री रमेश चन्द रेगर, सहायक लेखाधिकारी प्रथम एवं प्रभारी भौतिक सत्यापन दल संख्या-5 मुख्यालय- जयपुर (दल सदस्य-श्री नवीन कुमार खाण्डल, सहायक लेखाधिकारी-II) का त्रैमासिक आंतरिक जांच कार्यक्रम माह- अक्टूबर 2022 से दिसम्बर, 2022 तक निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम विभाग	वित्तीय लेखा वर्ष	कुल वर्ष	कार्य दिवस	कार्यावधि
1.	निदेशक इन्स्टीलीजेन्स ट्रेनिंग अकादमी जयपुर	प्रारंभ 2017 से 2022	5	29	04.10.2022 से 13.11.2022
2.	आयुक्त पुलिस विभाग, राजस्थान जयपुर	2019-2022	3	29	21.11.2022 से 30.12.2022

विशेष निर्देश:-

- प्रत्येक जांच कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने की सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा प्रभारी आंतरिक जांच शाखा को फोन पर आवश्यक रूप से दी जावे। तत्पश्चात् कार्य आरंभ की सूचना, दल सदस्यों के पूर्ण विवरण व उस विभाग के विभागाध्यक्ष /कार्यालयाध्यक्ष का नाम व उस विभाग के दूरभाष नम्बर सहित लिखित में इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।
- आंतरिक जांच सम्बन्धित कार्य Manual for Insprction Parties of accounts and stores, 1982 वित्त(राजस्व एवं लेखा-1)विभाग के परिपत्र दिनांक 26.6.1976, 13.07.2017 तथा विभाग के परिपत्र दिनांक 30.08.2016 एवं आदेश क्रमांक 936C-85 दिनांक 26.05.2022 के तहत प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सम्पादित किया जावे।
- जांचदल द्वारा प्रत्येक कार्यालय में अंकेक्षण सम्बन्धी हुए कार्य की प्रगति, रिकार्ड देने, नहीं देने की वस्तुस्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रेषित करेंगे।
- निर्धारित आवंटित जांच कार्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन व उसमें किसी प्रकार की समयवृद्धि किया जाना सम्भव नहीं होगा। निर्धारित आवंटित समय पर ही जांच कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक है। यदि आवश्यक कारणों से ऐसा सम्भव न हो तो विशेष परिस्थितियों में अंकेक्षण समाप्ति से एक सप्ताह पूर्व समय रहते निदेशक/अतिरिक्त निदेशक से अवधि बढ़ाने आदि की अनुमति प्राप्त कर विभाग से सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे।
- अंकेक्षण प्रारंभ करने के प्रथम दिवस को उक्त विभाग से पूर्व प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की अनुपालना प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई कर टिप्पणी अंकित करेंगे तत्पश्चात् अनुपालनाएँ इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- जिन विभागों /कार्यालयों में शनिवार का कार्य दिवस होता है उन कार्यालयों का अंकेक्षण कार्यक्रम आवंटित होने पर जांच दल उन विभागों /कार्यालयों में शनिवार कार्य दिवसों की अंकेक्षण कार्य सम्पादित करेंगे।
- प्रत्येक जांच प्रतिवेदन 3 प्रतियों में एवं उसके साथ संबंधित सम्पूर्ण परिशिष्टों के 3 सेट अनुच्छेदों का वर्गीकरण प्रपत्र, पैरा विवरण, कोड सहित (2 प्रतियों में), जांचदल की दैनिक कार्य विवरण डायरी (2 प्रतियों में), निर्धारित प्रपत्र (विभागीय कवरिंग लेटर अनुसार) में आवश्यक रूप से संलग्न कर भिजवायेंगे। मूल जांच प्रतिवेदन नय परिशिष्ट /प्रपत्र आदि के फाईल कवर में नत्थी कर मुख्यालय को प्रेषित करावें।
- अंकेक्षण कार्यक्रम के मुख्यालय को प्रस्तुत यात्रा विल वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.04.2017 के तहत ऑन लाईन (सभी दस्तावेज स्कैन कर) भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। बिलों की हार्ड प्रति दल प्रभारी से यात्रा प्रमाणित करवाकर उसके साथ सम्बन्धित आदेशों की प्रति, अवधि की दैनिक डायरी, उपस्थिति पंजिका की स्व-प्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करना सुनिश्चित करें।
- जांच प्रतिवेदन कम्प्यूटर पर टंकित कराकर प्रेषित किए जावें। जांच प्रतिवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर जांच दल के (सदस्यों सहित) हस्ताक्षर अंकित करें, जांच प्रतिवेदन अंकेक्षण समाप्ति के बाद विभाग को शीघ्र ही आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(सिधेश्याम सीना)

निदेशक

दिनांक : 10/09/22

क्रमांक : एफ.6(आई)निरी/भौ0स0द0-5/ प्रोग्राम/2022/ 16969-82

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, जयपुर।
- तकनीकी निदेशक, वित्त अंकेक्षण विभाग के पत्रांक प.6(1)वित्त/अंके/2012 पार्ट-II दिनांक 31.7.2012 के क्रम में उक्त जांच कार्यक्रम वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित है।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष
- श्री रमेश चन्द रेगर, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम एवं प्रभारी आं0जां0/भौतिक सत्यापन दल संख्या-5 एवं (दल सदस्य-श्री नवीन कुमार खाण्डल, सहायक लेखाधिकारी-II) निरीक्षण विभाग, मुख्यालय-जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
- निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)/संयुक्त निदेशक (भौतिक सत्यापन)
- सूचना सहायक, मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जांचदल एवं सम्बन्धित विभाग को ई-मेल करावें, एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
- लेखा(बिल)/संस्थापन/वि0जां0/भौतिक सत्यापन अनुभाग /रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक(अंकेक्षण)

राजस्थान सरकार

निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

ए-ब्लॉक, चतुर्थ तल, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर ई-मेल dit-ins-rj@gov.in फोन-0141.2740324

क्रमांक : एफ.6(आई)निरी/भौ0स0द0-40/ प्रोग्राम/2022/

दिनांक :

कार्यालय आदेश

आंतरिक जांच कार्यक्रम

श्री महेन्द्र सिंह मीणा, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम एवं प्रभारी भौतिक सत्यापन दल संख्या-40 मुख्यालय- अलवर (दल सदस्य-श्री दीपक यादव, सहायक लेखाधिकारी-II) का त्रैमासिक आंतरिक जांच कार्यक्रम माह- अक्टूबर, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम विभाग	वित्तीय लेखा वर्ष	कुल वर्ष	कार्य दिवस	कार्यावधि
1.	विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर	2019-2022	3	13	27.10.2022 से 11.11.2022
2.	प्राचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, नीमराना (अलवर)	2019-2022	3	39	14.11.2022 से 31.12.2022 (मुख्यालय 09.12.2022)

विशेष निर्देश:-

- प्रत्येक जांच कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने की सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा प्रभारी आंतरिक जांच शाखा को फोन पर आवश्यक रूप से दी जावे। तत्पश्चात् कार्य आरंभ की सूचना, दल सदस्यों के पूर्ण विवरण व उस विभाग के विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष का नाम व उस विभाग के दूरभाष नम्बर सहित लिखित में इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।
- आंतरिक जांच सम्बन्धित कार्य Manual for Inspection Parties of accounts and stores, 1982 वित्त(राजस्व एवं लेखा-1) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.6.1976, 13.07.2017 एवं विभाग के परिपत्र दिनांक 30.08.2016 के तहत प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सम्पादित किया जावे एवं आदेश क्रमांक 9360-85 दिनांक 26.05.2022 के तहत प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सम्पादित किया जावे।
- जांचदल द्वारा प्रत्येक कार्यालय में अंकेक्षण सम्बन्धी हुए कार्य की प्रगति, रिकार्ड देने, नहीं देने की वस्तुस्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रेषित करेंगे।
- निर्धारित आवंटित जांच कार्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन व उसमें किसी प्रकार की समयावृद्धि किया जाना सम्भव नहीं होगा। निर्धारित आवंटित समय पर ही जांच कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक है। यदि आवश्यक कारणों से ऐसा सम्भव न हो तो विशेष परिस्थितियों में अंकेक्षण समाप्ति से एक सप्ताह पूर्व समय रहते निदेशक/अतिरिक्त निदेशक से अवधि बढ़ाने आदि की अनुमति प्राप्त कर विभाग से सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे।
- अंकेक्षण प्रारंभ करने के प्रथम दिवस को उक्त विभाग से पूर्व प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की अनुपालना प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई कर टिप्पणी अंकित करेंगे तत्पश्चात् अनुपालनाएँ इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- जिन विभागों / कार्यालयों में शनिवार का कार्य दिवस होता है उन कार्यालयों का अंकेक्षण कार्यक्रम आवंटित होने पर जांच दल उन विभागों / कार्यालयों में शनिवार कार्य दिवसों की अंकेक्षण कार्य सम्पादित करेंगे।
- प्रत्येक जांच प्रतिवेदन 3 प्रतियों में एवं उसके साथ संबंधित सम्पूर्ण परिशिष्टों के 3 सेट अनुच्छेदों का वर्गीकरण प्रपत्र, पैरा विवरण, कोड सहित (2 प्रतियों में), जांचदल की दैनिक कार्य विवरण डायरी (2 प्रतियों में), निर्धारित प्रपत्र (विभागीय कवर्सिंग लैटर अनुसार) में आवश्यक रूप से संलग्न कर भिजवायेंगे। नूल जांच प्रतिवेदन मय परिशिष्ट / प्रपत्र आदि के फाईल कवर में नत्थी कर मुख्यालय को प्रेषित करावें।
- अंकेक्षण कार्यक्रम के मुख्यालय को प्रस्तुत यात्रा विल वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.04.2017 के तहत ऑन लाईन (सभी दस्तावेज स्कैन कर) भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। विलों की हार्ड प्रति दल प्रभारी से यात्रा प्रमाणित करवाकर उसके साथ सम्बन्धित आदेशों की प्रति, अवधि की दैनिक डायरी, उपस्थिति पंजिका की स्व-प्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करना सुनिश्चित करें।
- जांच प्रतिवेदन कम्प्यूटर पर टंकित कराकर प्रेषित किए जावें। जांच प्रतिवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर जांच दल के (सदस्यों सहित) हस्ताक्षर अंकित करें, जांच प्रतिवेदन अंकेक्षण समाप्ति के बाद विभाग को शीघ्र ही आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(राधेश्याम मीणा)

निदेशक

दिनांक : 10/01/22

क्रमांक : एफ.6(आई)निरी/भौ0स0द0-40/ प्रोग्राम/2022/ 16903-96

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, जयपुर।
- तकनीकी निदेशक, वित्त अंकेक्षण विभाग के पत्रांक प.6(1) वित्त/अंके/2012-पार्ट-1 दिनांक 31.7.2012 के क्रम में उक्त जांच कार्यक्रम वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित है।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष
- श्री महेन्द्र सिंह मीणा, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम एवं प्रभारी आं0जां0/भौतिक सत्यापन दल संख्या-40 एवं (दल सदस्य-श्री दीपक यादव, सहायक लेखाधिकारी-II) निरीक्षण विभाग मुख्यालय-अलवर द्वारा कोषाधिकारी-अलवर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। आंतरिक जांच कार्य की प्रगति से अवगत कराने हेतु दिनांक 09.12.2022 को मुख्यालय निर्धारित किया जाता है।
- निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)/संयुक्त निदेशक (भौतिक सत्यापन)
- सूचना सहायक, मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जांचदल एवं सम्बन्धित विभाग को ई-मेल करावें एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
- लेखा(विल)/संस्थापन/वि0जां0/भौतिक सत्यापन अनुभाग /रक्षित पत्रावली

(अतिरिक्त निदेशक(अंकेक्षण))

राजस्थान सरकार
निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

ए-ब्लॉक, चतुर्थ तल, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर ई-मेल dit-ins-rj@gov.in फोन-0141.2740324

क्रमांक : एफ.6(आई)निरी/भौ0स0द0-52/ प्रोग्राम/2022/

दिनांक :


कार्यालय आदेश
आंतरिक जांच कार्यक्रम

श्री महेन्द्र सिंह, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम एवं प्रभारी भौतिक सत्यापन दल संख्या-52 मुख्यालय- चुरू (दल सदस्य- श्री सुरेन्द्र मायल, सहायक लेखाधिकारी-II) का त्रैमासिक आंतरिक जांच कार्यक्रम माह- अक्टूबर, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम विभाग	वित्तीय लेखा वर्ष	कुल वर्ष	कार्य दिवस	कार्यावधि
1.	प्राचार्य ज्ञानीराम हरकचन्द राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, सुजानगढ़(चुरू)	2020-2022	2	33	04.10.2022 से 18.11.2022 (मुख्यालय 22.10.2022)
2.	प्राचार्य केशरीदेवी लोहिया राजकीय कन्या महाविद्यालय, रतनगढ़ (चुरू)	2020-2022	2	34	19.11.2022 से 30.12.2022 (मुख्यालय 16.12.2022)

विशेष निर्देश:-

- प्रत्येक जांच कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने की सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा प्रभारी आंतरिक जांच शाखा को फोन पर आवश्यक रूप से दी जावे। तत्पश्चात् कार्य आरंभ की सूचना, दल सदस्यों के पूर्ण विवरण व उस विभाग के विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष का नाम व उस विभाग के दूरभाष नम्बर सहित लिखित में इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।
- आंतरिक जांच सम्बन्धित कार्य Manual for Inspection Parties of accounts and stores, 1982 वित्त(राजस्व एवं लेखा-1) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.6.1976, 13.07.2017 एवं विभाग के परिपत्र दिनांक 30.08.2016 के तहत प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सम्पादित किया जावे एवं आदेश क्रमांक 9360-85 दिनांक 26.05.2022 के तहत प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सम्पादित किया जावे।
- जांचदल द्वारा प्रत्येक कार्यालय में अंकेक्षण सम्बन्धी हुए कार्य की प्रगति, रिकार्ड देने, नहीं देने की वस्तुस्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रेषित करेंगे।
- निर्धारित आवंटित जांच कार्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन व उसमें किसी प्रकार की समयावृद्धि किया जाना सम्भव नहीं होगा। निर्धारित आवंटित समय पर ही जांच कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक है। यदि आवश्यक कारणों से ऐसा सम्भव न हो तो विशेष परिस्थितियों में अंकेक्षण समाप्ति से एक सप्ताह पूर्व समय रहते निदेशक/अतिरिक्त निदेशक से अवधि बढ़ाने आदि की अनुमति प्राप्त कर विभाग से सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे।
- अंकेक्षण प्रारंभ करने के प्रथम दिवस दो उक्त विभाग से पूर्व प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की अनुपालना प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई कर टिप्पणी अंकित करेंगे तत्पश्चात् अनुपालनाएँ इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- जिन विभागों / कार्यालयों में शनिवार का कार्य दिवस होता है उन कार्यालयों का अंकेक्षण कार्यक्रम आवंटित होने पर जांच दल उन विभागों / कार्यालयों में शनिवार कार्य दिवसों की अंकेक्षण कार्य सम्पादित करेंगे।
- प्रत्येक जांच प्रतिवेदन 3 प्रतियों में एवं उसके साथ संबंधित सम्पूर्ण परिशिष्टों के 3 सेट अनुच्छेदों का वर्गीकरण प्रपत्र, पंरा विवरण, कोड सहित (2 प्रतियों में), जांचदल की दैनिक कार्य विवरण डायरी (2 प्रतियों में), निर्धारित प्रपत्र (विभागीय कवरिंग लेटर अनुसार) में आवश्यक रूप से संलग्न कर भिजवायेंगे। मूल जांच प्रतिवेदन मय परिशिष्ट / प्रपत्र आदि के फाईल कवर में नत्थी कर मुख्यालय को प्रेषित करावें।
- अंकेक्षण कार्यक्रम के मुख्यालय को प्रस्तुत यात्रा बिल वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.04.2017 के तहत ऑन लाईन (सभी दस्तावेज स्कैन कर) भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। बिलों की हार्ड प्रति दल प्रभारी से यात्रा प्रमाणित करवाकर उसके साथ सम्बन्धित आदेशों की प्रति, अवधि की दैनिक डायरी, उपस्थिति पंजिका की स्व- प्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करना सुनिश्चित करें।
- जांच प्रतिवेदन कम्प्यूटर पर टंकित कराकर प्रेषित किए जावें। जांच प्रतिवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर जांच दल के (सदस्यों सहित) हस्ताक्षर अंकित करें, जांच प्रतिवेदन अंकेक्षण समाप्ति के बाद विभाग को शीघ्र ही आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।



रिश्श्याम मीना
निदेशक

क्रमांक : एफ.6(आई)निरी/भौ0स0द0-52/ प्रोग्राम/2022/ 16907-17010

दिनांक : 19/04/22

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, जयपुर।
- तकनीकी निदेशक, वित्त अंकेक्षण विभाग के पत्रांक प.6(1) वित्त/अंके/2012 पार्ट-II दिनांक 31.7.2012 के क्रम में उक्त जांच कार्यक्रम वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित है।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष
- श्री महेन्द्र सिंह, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम एवं प्रभारी आं0जां0/भौतिक सत्यापन दल संख्या-52 एवं (दल सदस्य-श्री सुरेन्द्र मायल, सहायक लेखाधिकारी-II) निरीक्षण विभाग मुख्यालय-चुरू द्वारा- कोषाधिकारी-चुरू को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। आंतरिक जांच कार्य की प्रगति से अवगत कराने हेतु दिनांक 22.10.2022 एवं 16.12.2022 को मुख्यालय निर्धारित किया जाता है।
- निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)/संयुक्त निदेशक (भौतिक सत्यापन)
- सूचना सहायक मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जांचदल एवं सम्बन्धित विभाग को ई-मेल करावें।
- लेखा(बिल)/संस्थापन/वि0जां0/भौतिक सत्यापन अनुभाग /रक्षित पत्रावली


अतिरिक्त निदेशक(अंकेक्षण)

निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

ए-ब्लॉक, चतुर्थ तल, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर ई-मेल dit-ins-rj@gov.in फोन-0141.2740324

क्रमांक : एफ.6(आई)निरी/भौ0स0द0-74/ प्रोग्राम/2022/

दिनांक :

कार्यालय आदेश आंतरिक जांच कार्यक्रम

श्री राधेश्याम, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम एवं प्रभारी भौतिक सत्यापन दल संख्या-74 मुख्यालय- श्री गंगानगर (दल सदस्य-श्री सुरेन्द्र कुमार एवं श्री बाबू लाल-सहायक लेखाधिकारी-II) का त्रैमासिक आंतरिक जांच कार्यक्रम माह- अक्टूबर, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम विभाग	वित्तीय लेखा वर्ष	कुल वर्ष	कार्य दिवस	कार्यावधि
1.	प्राचार्य भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर	2020-2022	2	29	01.10.2022 से 11.11.2022
2.	जिला एवं सेशन न्यायालय, श्रीगंगानगर	2020-2022	2	22	14.11.2022 से 09.12.2022
3.	विशिष्ट न्यायालय एन0डी0पी0एस0 केस, श्रीगंगानगर	2020-2022	2	16	12.12.2022 से 31.12.2022

विशेष निर्देश:-

- प्रत्येक जांच कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने की सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा प्रभारी आंतरिक जांच शाखा को फोन पर आवश्यक रूप से दी जावे। तत्पश्चात् कार्य आरंभ की सूचना, दल सदस्यों के पूर्ण विवरण व उस विभाग के विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष का नाम व उस विभाग के दूरभाष नम्बर सहित लिखित में इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।
- आंतरिक जांच सम्बन्धित कार्य Manual for Inspection Parties of accounts and stores, 1982 वित्त(राजस्व एवं लेखा-1) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.6.1976, 12.07.2017 एवं विभाग के परिपत्र दिनांक 30.08.2016 के तहत प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सम्पादित किया जावे एवं आदेश क्रमांक 9360-85 दिनांक 26.05.2022 के तहत प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सम्पादित किया जावे।
- जांचदल द्वारा प्रत्येक कार्यालय में अंकेक्षण सम्बन्धी हुए कार्य की प्रगति, रिकार्ड देने, नहीं देने की वस्तुस्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रेषित करेंगे।
- निर्धारित आवंटित जांच कार्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन व उसमें किसी प्रकार की समयावृद्धि किया जाना सम्भव नहीं होगा। निर्धारित आवंटित समय पर ही जांच कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक है। यदि आवश्यक कारणों से ऐसा सम्भव न हो तो विशेष परिस्थितियों में अंकेक्षण समाप्ति से एक सप्ताह पूर्व समय रहते निदेशक/अतिरिक्त निदेशक से अवधि बढ़ाने आदि की अनुमति प्राप्त कर विभाग से सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे।
- अंकेक्षण प्रारंभ करने के प्रथम दिवस को उक्त विभाग से पूर्व निर्देशों के बकाया अनुच्छेदों की अनुपालना प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई कर टिप्पणी अंकित करेंगे तत्पश्चात् अनुपालनाएँ इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- जिन विभागों / कार्यालयों में शनिवार का कार्य प्रारंभ होता है उन कार्यालयों का अंकेक्षण कार्यक्रम आवंटित होने पर जांच दल उन विभागों / कार्यालयों में शनिवार कार्य दिवसों की अंकेक्षण कार्य सम्पादित करेंगे।
- प्रत्येक जांच प्रतिवेदन 3 प्रतियों में एवं उसके साथ संबंधित सम्पूर्ण परिशिष्टों के 3 सेट अनुच्छेदों का वर्गीकरण प्रपत्र, पैरा विवरण, कोड सहित (2 प्रतियाँ में), जांचदल की दैनिक कार्य विवरण डायरी (2 प्रतियों में), निर्धारित प्रपत्र (विभागीय कवरिंग लेटर अनुसार) में आवश्यक रूप से संलग्न कर भिजवायेंगे। मूल जांच प्रतिवेदन मय परिशिष्ट / प्रपत्र आदि के फाईल कवर में नत्थी कर मुख्यालय को प्रेषित करावें।
- अंकेक्षण कार्यक्रम के मुख्यालय को प्रस्तुत यात्रा बिल वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.04.2017 के तहत ऑन लाईन (सभी दस्तावेज स्कैन कर) भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। विलों की हार्ड प्रति दल प्रभारी से यात्रा प्रमाणित करवाकर उसके साथ सम्बन्धित आदेशों की प्रति, अवधि की दैनिक डायरी, उपस्थिति पंजिका की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ आवश्यक रूप से संलग्न करना सुनिश्चित करें।
- जांच प्रतिवेदन कम्प्यूटर पर टंकित कराकर प्रेषित किए जावें। जांच प्रतिवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर जांच दल के (सदस्यों सहित) हस्ताक्षर अंकित करें, जांच प्रतिवेदन अंकेक्षण समाप्ति के बाद विभाग को शीघ्र ही आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।



(राधेश्याम जीना)
निदेशक

क्रमांक : एफ.6(आई)निरी/भौ0स0द0-74/ प्रोग्राम/2022/ 17011-25

दिनांक : 19/09/22

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, जयपुर।
- तकनीकी निदेशक, वित्त अंकेक्षण विभाग के पत्रांक प.6(1) वित्त/अंके/2012 पार्ट-II दिनांक 31.7.2012 के क्रम में उक्त जांच कार्यक्रम वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित है।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष
- श्री राधेश्याम, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम एवं प्रभारी आं0जां0/भौतिक सत्यापन दल संख्या-74 एवं (दल सदस्य-श्री सुरेन्द्र कुमार एवं श्री बाबूलाल, सहायक लेखाधिकारी-II) निरीक्षण विभाग मुख्यालय-श्रीगंगानगर द्वारा - कोषाधिकारी-श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
- निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)/संयुक्त निदेशक (भौतिक सत्यापन)
- सूचना सहायक मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जांचदल एवं सम्बन्धित विभाग को ई-मेल करावें एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
- लेखा(बिल)/संस्थापन/वि0जां0/भौतिक सत्यापन अनुभाग /रक्षित पत्रावली


अतिरिक्त निदेशक(अंकेक्षण)